वाणिज्य कर विभाग

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेवाएं के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम	अभियुक्ति
1	अधिकारी/कर्मचारी/ व्यवसायी द्वारा वाणिज्य-कर अधिनियम के प्रावधानों तथा नीतियों के विरूद्ध कार्य करने से संबंधित परिवादः यदि कोई भी व्यक्ति यह शिकायत करता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा वाणिज्य-कर अधिनियमों के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य किया जा रहा है अथवा वह भ्रष्ट आचरण में संलप्ति है अथवा कोई व्यवसायी कर चोरी कर रहा है अथवा अन्य किसी प्रकार से राजस्व को क्षति पहुंचा रहा है तो ऐसी शिकायत लोक शिकायत निवारण प्राधिकार में की जा सकती है।	**(A) <u>व्यवसायियों के लिए सामान्य प्रावधान</u> :&** **(क) पंजीकरण की प्रक्रिया:** (i) **अनिवार्य पंजीकरण**: कोई भी व्यवसाय जो सिर्फ माल की आपूर्ति करता हो और एक वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक हो या सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, 20 लाख रुपये से अधिक हो, वैसे व्यवसायों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। (ii) **स्वैच्छिक पंजीकरण**: कोई भी व्यवसाय, जिसका निर्दिष्ट टर्नओवर सीमा से नीचे है वह भी पंजीकरण करवा सकते हैं। **(ख) टैक्स इनवॉइस जारी करना:** यह 200 रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन के लिए अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जानकारियां टैक्स इनवॉइस में अंकित करना अनिवार्य किया गया है जैसे- नाम, आपूर्तिकर्ता का पता और जीएसटीआईएन, जारी होने की तारीख, मात्रा, मूल्य, कर की दर, आपूर्ति का स्थान, और यदि ई-इनवॉइस जारी किया गया है तो इसमें Invoice Reference Number एम्बेडेड क्यूआर कोड। **(ग) ई-इनवॉइस जारी करना:** सभी पंजीकृत व्यवसाय जिनका 2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक हो वैसे व्यवसायों को Invoice Reference Number के साथ ई-इनवॉइस जारी करना आवश्यक है। **(घ) रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान :** सही और समय पर रिटर्न दाखिल करना, निर्धारित अवधि के लिए बिक्री मूल्य, टर्नओवर, कटौतियाँ और छूट जैसे विवरण प्रस्तुत करना; और निश्चित अवधि के लिए कर दायित्व का निर्वहन करना आवश्यक है। **(ङ) ई-वे बिल संबंधी नियम :** ई-वे बिल मालों की आवाजाही के साक्ष्य के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है। प्रेषक, या कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर में से किसी एक को अनिवार्य रूप से ई-वे बिल जेनरेट करना होता है। जब माल का परिवहन राज्य के भीतर 50 किलोमीटर की दूरी से अधिक करना हो और उसका मूल्य ₹50000 से अधिक हो तो ई वे बिल जनरेट करना आवश्यक होता है। अंतरराज्यीय परिवहन हेतु यह सीमा ₹100000 निर्धारित है	सभी व्यवसायी	सभी संबंधित व्यवसायी स्वंय	यदि करदाता विभाग के द्वारा पारित किसी भी आदेश से विछुब्ध हो तो वह उस आदेश के विरुद्ध 3 माह के भीतर संबंधित अपीलीय प्रमंडल के राज्य कर अपर आयुक्त (अपील) के कार्यालय में अपील दायर कर सकते हैं

		(च) नोटिस का अनुपालन: असेसमेंट, निरीक्षण, अपील, रिफंड और अन्य मामलों में विभाग द्वारा जारी नोटिस का करदाताओं को निर्धारित सीमा के भीतर जवाब देना आवश्यक होता है **(B) <u>विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सामान्य</u>** **<u>प्रावधान</u> -** **(क) आवेदनों का समय पर निपटान:** पंजीकरण से संबंधित, अपील और रिफंड संबंधी आवेदनों का ससमय निपटान किया जाना होता है | पंजीकरण प्राप्त करने हेतु संबंधित आवेदन - 7 दिनों के अंदर परंतु जिन आवेदनों में आधार सत्यापन ना हुआ हो वैसे मामलों में 30 दिन | रिफंड संबंधी आवेदन - 60 दिनों के अंदर | **(ख) पंजीकरण से पहले और बाद में स्थल निरीक्षण:** अधिनियमों और नियमों के प्रावधान के अनुसार आयोजित किए जाते हैं | **(ग) संवीक्षा, एसेसमेंट, लेखापरीक्षा, प्रवर्तन गतिविधियाँ और वसूली के उपाय:** अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा कदम उठाए जाते हैं |			

			सभी संबंधित व्यवसायी	अंचल प्रभारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/ संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/ अंकेक्षण/अपील) या उनके द्वारा नामित कोई पदाधिकारी	